मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/2023/627 भोपाल, दिनांक 04/11/2024

प्रति,

1. संयुक्त संचालक
   म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आंचलिक कार्यालय, ...(समस्त)।
2. सचिव
   कृषि उपज मंडी समिति ..... (समस्त)।

विषयः- मंडी प्रांगणों में सुरक्षा व्यवस्था करने एवं असामाजित गतिविधियों की रोकथाम के संबंध में।

संदर्भः- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/141 भोपाल, दिनांक 27/10/2021 एवं पत्र क्रमांक/नियमन/परिपत्र/2022/1970 भोपाल, दिनांक 12/11/2022

कृषि उपज मंडी समिति के अधिसूचित मंडी प्रांगणों, उपमंडी प्रांगणों में कृषकों एवं व्यापारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना मंडी समिति से अपेक्षित है। इसके संबंध में पूर्व से ही प्रांगण की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। इसी क्रम में संदर्भित पत्र दिनांक 27/10/2021 एवं पत्र दिनांक 12/11/2022 से भी मंडी प्रांगणों में असामाजिक गतिविधियों को कड़ाई से रोकने बाबत निर्देश जारी किए थे। तथापि मंडी प्रांगण में किसी अप्रिय घटना की स्थिति निर्मित होने के समाचार प्राप्त होते है (छायाप्रति संलग्न), जिससे मंडी समिति की छवि भी धूमिल होती है।

अतः पूर्व से जारी निर्देशों (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि जारी दिशा निर्देशों का पालन कढ़ाई से सुनिश्चित कराएं।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

04/11/24

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/2023/628 भोपाल, दिनांक 04/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. गार्ड फाइल।

04/11/24

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जैल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/ 141

भोपाल/दिनांक 27/10.2021

प्रति,

भारसाधक अधिकारी/सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति,

---------------जिला--------------(समस्त)

विषयः- मण्डी प्रांगणों में असामाजिक गतिविधियों को कड़ाई से रोकने बावत निर्देश।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि खरीफ विपणन सीजन प्रारम्भ हो गया है, मण्डी समितियों में कृषि उपजों की आवक कृषक भाईयों द्वारा की जा रही है। मण्डी समितियों में देर रात तक तौल कार्य तथा भुगतान की कार्यवाही होती है। व्यापारियों द्वारा मण्डियों में अधिक आवक को क्रय कर नियमानुसार नगद भुगतान कृषकों को किया जा रहा है। मण्डी प्रांगणों में विपणन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे इस हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

01. मण्डी समिति का समस्त अमला निर्धारित गणवेश में अपने कार्यस्थल पर सचिव द्वारा सौपे गए दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सजगता से करेंगे।
02. मण्डी समितियों में लगाए गए सुरक्षा कर्मियों को भी निर्धारित गणवेश में अपने कार्यस्थल पर सचिव द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सजगता से कराएंगे।
03. मण्डी प्रांगणों के प्रवेश द्वारों तथा निकासी द्वारों पर विशेष निगरानी रखी जाए कि कोई भी अनुपयुक्त व्यक्ति प्रांगण में प्रवेश न करें इसका विशेष ध्यान रखा जावे।
04. मण्डी प्रांगणों में रात्रिकालीन गश्त में सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ मण्डी के निरीक्षक तथा सहायक उपनिरीक्षकों को भी गश्ती के लिए पाबंद किया जावे।
05. मण्डी समितियों में लगे हुए समस्त सी.सी.टी.व्ही. कैमरे पूर्ण रूप से कार्य करते रहें तथा कैमरों का नियमित रूप से अवलोकन मण्डी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाए। कोई भी असामान्य घटना दिखने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
06. मण्डी प्रांगणों में कोई भी असामाजिक घटना जैसे जुआ, सट्टा, मदयपान, धूम्रपान, अनाधिकृत पार्किंग न हो इसका पूरा-पूरा ख्याल मण्डी समिति रखेगी, इस तरह की कोई भी घटना संज्ञान में आने पर तत्काल इसकी एफ.आई.आर. पुलिस थाने में की जावे।
07. मण्डी में कार्य करने वाले हम्मालों, तुलावटियों को पहचान पत्र विशेष रूप से प्रदाय किए जाएं, जिससे रात्रिकालीन आवागमन में हम्मालों, तुलावटियों को कोई असुविधा न हो और उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके।

08. हम्माल संघों, तुलावटी संघों, व्यापारी संघों तथा किसान संगठनों से मण्डी प्रांगण में शांतिपूर्ण विपणन कार्यवाही निर्विवाद रूप से सम्पादित होता रहे, इस बावत समस्त मण्डी समितियां बैठक कर मण्डी प्रांगण में होने वाली किसी भी किस्म की अपराधिक घटनाओं को रोकने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करेंगी।

09. समस्त मण्डी सचिव अपने अधीनस्थ मण्डी निरीक्षकों, सहायक उपनिरीक्षकों, सुरक्षा कर्मियों तथा मण्डी समितियों के अन्य स्टाफ के साथ समय-समय पर बैठक कर मण्डी प्रांगण में होने वाली समस्त गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेंगे तथा कोई भी असामान्य घटना दृष्टिगोचर होने पर तत्काल कार्यवाही करेंगे।

10. मण्डी प्रांगण की सुरक्षा दीवार (बाउण्ड्रीवाल), प्रवेश द्वार विदयुत व्यवस्था पूर्ण रूप से क्रियान्वित रहे यह भी मण्डी समिति सुनिश्चित करेगी। अगर कहीं सुरक्षा दीवार (बाउण्ड्रीवाल) क्षतिग्रस्त है तो तत्काल उसका सुदृढीकरण करेगी।

11. समस्त आंचलिक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में मण्डी सचिवों से नियमित रूप से सम्पर्क स्थापित कर उनके मण्डी प्रांगणों में अगर कोई असामान्य घटना संज्ञान में आती है तो तत्काल अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे।

उपरोक्त प्रसारित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करते हुए मण्डी प्रांगण में विपणन व्यवस्था सुगमता से संचालित होती रहे इस हेतु अन्य कोई कार्यवाही मण्डी समिति उपयुक्त समझे तो विपणन एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कर सकती है।

(विकास नरवाल)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/ 142 भोपाल/दिनांक 27/10/2021

प्रतिलिपि :-

01. पुलिस अधीक्षक, जिला ..... (समस्त) की ओर भेजकर लेख है कि आप अपने स्तर से भी संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि मण्डी प्रांगणों में नियमित तथा प्रभावी गश्त होती रहे।

02. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)- ----------की आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/नियमन/परिपत्र/2022/1970 भोपाल, दिनांक 12-11-2022

प्रति

भारसाधक अधिकारी / सचिव (समस्त)
कृषि उपज मंडी समिति
_____ जिला_____ (म प्र)।

विषय - मंडी प्रांगणों में सुरक्षा व्यवस्था बाबत निर्देश।

संदर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/ 141, भोपाल, दिनांक 27/10/2021.

—ooo—

कृषि उपज मंडी समिति के अधिसूचित मंडी प्रांगणों, उपमंडी प्रांगणों में कृषकों एवं व्यापारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना मंडी समिति से अपेक्षित है। इसके संबंध में पूर्व से ही प्रांगण की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। इसी क्रम में संदर्भित पत्र दिनांक 27/10/2021 से भी मंडी प्रांगणों में असामाजिक गतिविधियों को कड़ाई से रोकने बाबत निर्देश जारी किए थे।

2. तथापि मंडी प्रांगण में किसी अप्रिय घटना की स्थिति निर्मित होने के समाचार प्राप्त होते है, जिससे मंडी समिति की छवि भी धूमिल होती है।

3. मंडी प्रांगण में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति निर्मित नहीं हो और कृषकों एवं व्यापारियों के समक्ष कृषि उपज मंडी समिति की सकारात्मक छवि निर्मित हो, इसके लिए मंडी समिति के स्तर से निरंतर प्रयास और अग्रसक्रिय कार्यवाही की आवश्यकता है।

4. अतः पूर्व से जारी निर्देशों के क्रम में पुनः निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया जाता है -

1. मंडी निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और सुरक्षाकर्मी निर्धारित गणवेश में रहे।
2. मंडी निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक प्रांगण में अपने कार्यस्थल पर सचिव द्वारा सौपे गए दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सजगता से करें।
3. सुरक्षाकर्मियों को प्रांगण में महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात कर, निगरानी सुनिश्चित कराई जाएं।
4. प्रांगण के प्रवेश द्वारों तथा निकासी द्वारों पर विशेष निगरानी रखी जाएं तथा इसका विशेष ध्यान रखा जाएं कि कोई भी अनुपयुक्त व्यक्ति प्रांगण में प्रवेश न करें।
5. प्रांगण में रात्रिकालीन गश्त के लिए सुरक्षाकर्मियों के साथ ही मंडी निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक को भी पाबंद किया जाएं।

6. CCTV कैमरों से प्रांगण के महत्वपूर्ण स्थानों की निर्बाध निगरानी सुनिश्चित कराई जाएं। कैमरों का मैंटेनेंस नियमित रूप से किया जाकर सदैव चालू स्थिति में रखे जाएं। कैमरे चालू नहीं है अथवा महत्वपूर्ण स्थानों की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे है तो कैमरे की स्थापना का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता है। अतः बंद कैमरे औपचारिकता पूर्ण करते हुए यथाशीघ्र बदले जाएं।
7. मंडी प्रांगण में विद्युत व्यवस्था पूर्णतः निर्बाध रूप से क्रियान्वित रहे।
8. अनुज्ञप्तिधारी हम्माल, तुलावटी को पहचान पत्र जारी किए जाएं और इसका उपयोग सुनिश्चित कराया जाएं।
9. मंडी प्रांगण में किसी भी असामान्य घटना के संज्ञान में आने पर तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावे।

(जी व्ही रश्मि)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्रमांक/नियमन/परिपत्र/2022/1971 भोपाल, दिनांक 12-11-2022

प्रतिलिपि -

1. पुलिस अधीक्षक, जिला _____ (समस्त) की ओर भेजकर लेख है कि आप अपने स्तर से भी संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि मंडी/ उपमंडी प्रांगणों में नियमित तथा प्रभावी गश्त होती रहे।
2. अपर संचालक (प्रांगण) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल। मंडी/ उपमंडी प्रांगणों में आवश्यक अधोसंरचना एवं मूलभूत सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता एवं संचालन सुनिश्चित कराया जाएं।
3. अपर संचालक (सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल। मंडी/ उपमंडी प्रांगणों में CCTV कैमरों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता एवं संचालन सुनिश्चित कराया जाएं।
4. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - _____ (समस्त)। प्रांगणों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पूर्व में प्रसारित निर्देशों के क्रम में ही उपरोक्त निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित कराया जाएं। मंडी सचिवों से नियमित रूप से संपर्क स्थापित कर इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएं और यदि कोई असामान्य घटना संज्ञान में आती है तो तत्काल अपने स्तर से आवश्यक एवं वैधानिक कार्यवाही करें।
5. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल। वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. गार्ड फाइल।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

दैनिक भास्कर

डीबी स्टार भोपाल 13-10-2024

वीरान मंडी... सूरज ढलते ही परिसर में लगने लगता है असामाजिक तत्वों का जमावड़ा

25 साल पहले 12 एकड़ में बनी कृषि उप मंडी में साल में सिर्फ एक बार होती है खरीदी

भोपाल (डीबी स्टार)

इंदौर-भोपाल मार्ग स्थित भैंसाखेड़ी में 25 साल पहले 12 एकड़ में बनी कृषि उप मंडी वीरान पड़ी है। साल में सिर्फ एक बार यहां समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए चहल-पहल दिखती है, बाकी समय शेड के आसपास ही लोग क्रिकेट खेलते हैं। यह हाल तब हैं, जब विभागीय अफसरों ने यहां आसपास के किसानों को लाभ देने के उद्देश्य से उप मंडी का निर्माण कराया था, लेकिन अधिकारी किसानों को इसका लाभ देना तो छोड़िए, इसके उपयोग की प्लानिंग तक नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कृषि मंडी में किसानों और व्यापारियों के न पहुंचने के पीछे की वजह मंडी परिसर में गोदाम की सुविधा न होना भी है। जिसका खामियाजा आसपास के किसानों को उठाना पड़ रहा है। मंडी के निर्माण के वक्त यहां 20 से अधिक गांवों के किसानों को लाभ पहुंचाने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक किसानों को लाभ देना तो छोड़िए मंडी पूरी तरह विकसित तक नहीं हो पाई है।

मंडी बंद रहने के पीछे शुरुआत से यहां सबसे बड़ी समस्या गोदाम का निर्माण नहीं होना भी है। इसी के चलते व्यापारी भी मंडी में खरीदारी की रुचि नहीं दिखाते। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि उनके द्वारा यहां अब गोदाम बना लिए गए हैं। इधर, व्यापारियों के न पहुंचने से क्षेत्रीय किसान भी यहां पर अपना अनाज लाने से बचते हैं। ऐसे में किसानों के पास भी सीहोर या भोपाल की प्रमुख मंडी में जाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। जबकि एक हकीकत यह भी है कि मंडी में आने वाले किसानों को व्यापारियों द्वारा उनकी फसल का सही रेट नहीं देते। उचित रेट नहीं मिलने के कारण मजबूरन कारोबारी भोपाल-सीहोर जाकर ही अपनी फसल बेचना ठीक समझते हैं।

पैसों की बर्बादी... करोड़ों की मंडी बनी 'खेल' का मैदान

अवसर क्रिकेट खेलते मिलते हैं बाहरी लोग... परिसर में दो बड़े-बड़े शेड बने हैं। जिनके बीच में अवसर बाहरी तत्वों को क्रिकेट खेलते हुए देखा जा रहा है। डीबी स्टार ने मंडी में पहुंचकर यहां के हालात देखे। चारों तरफ से मंडी वीरान नजर आई। जबकि यहां एक प्रभारी के अलावा 2 गार्ड और एक सहायक निरीक्षक की भी तैनाती है।

10 साल पहले 40 व्यापारियों को दिए गए थे गोदाम बनाने के निर्देश... यहां शुरुआत से ही कारोबारियों को गोदाम का निर्माण कराने के लिए निर्देश दिए जाते रहे हैं। 10 साल पहले मंडी सचिव ने एक साथ 40 व्यापारियों को इसके लिए नोटिस जारी किए थे। जिसके बाद कुछ ने गोदामों का निर्माण करवा लिया गया। वर्तमान में व्यापारियों की संख्या 47 हो चुकी है, लेकिन सभी कारोबारियों ने गोदाम का निर्माण अब भी नहीं करवाया है।

कई कारोबारियों की दुकानें करोंद में भी, इसीलिए किसानों को यहां सही रेट नहीं मिलता... मंडी परिसर में अधिकांश कारोबारी ऐसे भी हैं, जिनकी दुकानें-गोदाम करोंद मंडी में भी हैं। इन व्यापारियों का फोकस वहीं रहता है, इसी कारण यहां कारोबार की रुचि कभी नहीं दिखी। खुद कारोबारी यहां आने वाले किसानों को फसल का सही रेट नहीं देते थे, इसी कारण किसान मजबूर होकर करोंद या सीहोर मंडी पहुंचकर फसल बेचना ठीक समझता है।

धर्मकांटा, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के लिए भेज रखा है प्रस्ताव... भैंसाखेड़ी स्थित कृषि उप मंडी के प्रभारी बीएल त्यागी का कहना है कि दरअसल, यहां धर्मकांटा, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज सहित अन्य सुविधाओं की डिमांड भी है। जिसे लेकर मुख्यालय प्रस्ताव भेजा जा चुका है। किसानों को यहां सभी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसी कारण वे यहां आने की बजाए दूसरी बड़ी मंडियों में पहुंचते हैं।

सब्जी की नीलामी शुरू कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है

यह सही है कि वर्तमान में मंडी का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन गेहूं की खरीदी के वक्त यहां काफी मात्रा में समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी होती है। उप मंडी का उपयोग सालभर हो सके इसके लिए सब्जी-फलों की नीलामी शुरू कराने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलते ही यहां सब्जी मंडी का संचालन भी होने लगेगा। बैरागढ़ सब्जी मंडी को भी यहीं शिफ्ट करने की योजना है। - आरपी गुप्ता, सचिव, कृषि उपज मंडी, करोंद